

the Sea Cargo Manifest and Transshipment (First Amendment) Regulations, 2025, under Section 159 of the Customs Act, 1962, along with Explanatory Memorandum.

[Placed in Library. For (viii) to (xii), see No.L.T.2299/18/25]

Report and Accounts (2023-24) of the Chennai Port Authority and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Sir, I lay on the Table—

(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 44 of the Major Port Authorities Act, 2021: -

- (a) Administration Report and Accounts of the Chennai Port Authority, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port Authority.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. see No. L.T. 2388/18/25]

Notification of the Ministry of Corporate Affairs

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अधीन कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) संशोधन नियम, 2025 का प्रकाशन करने वाली कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 131(अ), दिनांक 12 फरवरी, 2025 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library. see No. L.T. 2320/18/25]

Notification of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया): महोदय, मैं आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अधीन जारी मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 371(अ), दिनांक 8 फरवरी, 2017 का संशोधन करने वाली उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 5506(अ), दिनांक 19 दिसंबर, 2024 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखती हूँ।

[Placed in Library. see No. L.T. 2565/18/25]